न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 71/2012
GCMS NO. : 2012/00032

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. नैनसिंह पुत्र मूलसिंह 2. मदनसिंह पुत्र कल्याणसिंह के कायम मुकाम 2/1. मदनकंवर पत्नी मदनसिंह 2/2. रघुवीरसिंह पुत्र मदनसिंह 2/3. महावीरसिंह पुत्र मदनसिंह 2/4. जब्बरसिंह पुत्र मदनसिंह 3. इन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह 4. प्रेमसिंह पुत्र सज्जनसिंह जातियान– सभी राजपूत निवासीगण– ग्राम रास तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।		1. किसना वल्द लच्छा(धूला) के कायम मुकाम 1/1. बगदू पुत्र किसना 1/2. हरबूसिंह पुत्र बद्री वल्द किसना 1/3. सम्पतसिंह पुत्र बद्री वल्द किसना 1/4. शिवसिंह पुत्र बद्री वल्द किसना 1/5. घनश्याम सिंह पुत्र बद्री वल्द किसना 2. घीसा वल्द प्रभु के कायम मुकाम 2/1. किरणसिंह पुत्र छीतरसिंह वल्द घीसा 2/2. गीतादेवी पत्नी छीतरसिंह वल्द घीसा 3. बोदू वल्द सादूल के कायम मुकाम 3/1. हरिसिंह पुत्र शंकरसिंह वल्द बोदू 3/2. महावीरसिंह पुत्र शंकरसिंह वल्द बोदू 3/3. गुलाबी बेवा नैना वल्द बोदू, जातियान– सभी रावणा, राजपूत, निवासीगण– रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली (राज0)।

राजस्व वादबाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:–22/03/2012**

उपस्थित:–

1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:–14/06/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद्द [illegible] रास चक प्रथम में वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 182 रकबा 21–09 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

किस्म बारानी दोयम वाके है। जिसके वादीगण व उनके पिता, परपिता के समय से यानि दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से लगातार बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है व काश्त करते है व उक्त भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि की जमाबंदी खतौनी संवत् 2065-2068 की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है जिसे वाद का एक आवश्यक भाग माना जावे। उक्त खसरा संख्या 182 के बाबत् राजस्व रेकर्ड व जमाबंदी खतौनी में प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से लगायत प्रतिवादीगण संख्या 3/3 का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत रूप में इन्द्राज है जबकि प्रतिवादीगण का खसरा संख्या 182 की भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त न था, न है इसके एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण है। वादग्रस्त कृषि भूमि के खसरा नम्बर 182 रकबा 21-09 बीघा किस्म बारानी दोयम वाके सरहद मौजा रास प्रथम जिसे वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा, पर दिनांक 15.10.1955 से पूर्व यानि पूर्व बन्दोबस्त होने से पहले जागीर अधिग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने से पूर्व उक्त भूमि वादी संख्या 01 नैनसिंह के पिता मूलसिंह, वादी संख्या दो के मदनसिंह के पिता कल्याणसिंह व वादी संख्या 03 व 04 के दादा कल्याणसिंह जो दोनों सगे भाई थे को तत्कालीन जागीरदार ठिकाने रास द्वारा काश्त के लिये जमीन दी हुई थी जिस पर काश्त करते थे तथा मूलसिंह के फौत होने के पश्चात् 1/2 हिस्से की भूमि पर वादी संख्या 1 व कल्याणसिंह के फौत होने पर 1/2 हिस्से की भूमि पर वादी संख्या 2, 03 व 04 बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है व शुरू से आज दिन तक वादीगण ही काश्त करते आ रहे है। मगर वक्त सेटलमेन्ट खसरा संख्या 180 हरारा खेत रकबा 22-06 बीघा किस्म बारानी दोयम के खातेदार काश्तकार किशना वल्द लच्छा, घीसा वल्द प्रभु व बोदू वल्द सादुल के वारिसान एवं उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण है के नाम जारी पर्चा मय वादीगण की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 182 गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। जो पर्चा लगान दिनांक 23.11.1955 को जारी किया गया। जिसकी प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है जिसे वाद का भाग माना जावे। उक्त गलत इन्द्राज की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है। जिसमें भी वादीगण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 182 गलत रूप से किशना, घीसा व बोदू जिनके प्रतिवादीगण वारिसान एवं उत्तराधिकारी के नाम गलत इन्द्राज किया गया। उक्त पर्चा लगान व मिसल बन्दोबस्त के अनुसार जमाबन्दी खतौनी में प्रतिवादीगण व उनके पिता, प्रपिता का नाम गलत इन्द्राज के रूप में चलता रहा, जिसकी जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2018 से 2021, सम्वत् 2020 से 2023, सम्वत् 2024 से 2027, सम्वत् 2028 से 2031, सम्वत् 2032 से 2035, सम्वत् 2036 से 2039, सम्वत् 2041 से 2044, सम्वत् 2045 से 2048, सम्वत् 2049 से 2052, सम्वत् 2053 से 2056, सम्वत् 2057 से 2060 व सम्वत् 2065 से 2068 की प्रमाणित प्रतियां वाद के साथ पेश है जिसे वांद का एक भाग माना जा इसी प्रकार प्रतिवादीगण के पिता,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रपिता के नाम से फौतेदगी व रेकर्ड दुरूस्ती के म्युटेशन संख्या 241 व 1659 की प्रमाणित प्रतियां वाद के साथ पेश है जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 182 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2020 व 2032 से 2035 की प्रमाणित प्रतियां वाद के साथ पेश है व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 में वादीगण संख्या एक नैनसिंह पुत्र मूलसिंह का वादग्रस्त भूमि में काश्त व कब्जा दर्ज है व सम्वत् 2018 वादीगण संख्या दो के पिता व वादीगण संख्या तीन व चार के दादा कल्याणसिंह उर्फ कलजी का कब्जा व काश्त दर्ज है। सम्वत् 2019 से 2020 में कल्याणसिंह का कब्जा व काश्त दर्ज है। उक्त खसरा गिरदावरी के रेकर्ड के आधार पर वादीगण का पिछले 60 वर्षो से ज्यादा समय यानि जागीर अधिग्रहण अधिनियम 1952 के पूर्व से आज दिन तक वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है व काश्त करते है। प्रतिवादीगण के नाम की एक रोंग एन्ट्री है जो गलत रूप से दर्ज है। जिसे हटवाकर वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण व उनके पिता व प्रपिता का इस भूमि में कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार न था न है उनके नाम का इन्द्राज गलत रूप से दर्ज है जो एक रोंग एन्ट्री है। जिसे हटवाकर वादीगण अपना नाम दर्ज कराने व वादीगण एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार होने की घोषणा प्राप्त करनें के अधिकारी है। इसलिये दावा घोषणा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के एक मात्र काबिज खातेदार है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोईलेना देना नहीं है। न ही कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त हैं प्रतिवादीगण अपने नाम का गलत इन्द्राज होने का फायदा उठाने की नियत से व ग्राम रास में सीमेन्ट फैक्ट्री लगने, रेलवे लाईन आने से जमीन की किमत बढ़ जाने से प्रतिवादीगण की नियम खराब हो चुकी है व गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को बैचान करनें, खुर्द बुर्द करने, प्रतिवादीगण को बेदखल करने पर आमदा है व दिनांक 18.03.2012 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि तुम्हारे नाम से गलत इन्द्राज होने से समक्ष न्यायालय में चलकर रेकर्ड दुरूस्त करवाओं, मगर प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से मना कर दिया व प्रतिवादीगण को बेदखल करने व भूमि को बेचान करनें व मुन्तकिल करनें की एलानिया धमकी दी, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करनें का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने पर वादीगण उन्हे ऐसा हरगीज नहीं करने देगा। जिससे मल्टी प्लीसीटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, जिससे विविध मुकदमेबाजी होगी तथा वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता है। इसलिय वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिये दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय दावा दिनांक 18.03.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

करने, जमीन बैचान करने, मन्तकील करने की एलानिय धमकी देने पर बमुकाम रास में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो सामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 1/1 द्वारा इकबालिया जवाब दावा मय राजीनामा पेश किया गया, जो कि सामिल मिसल है। प्रतिवादीगण संख्या 1/2 से 1/5, 2/1 से 2/2, 3/1 से 3/3 को जवाबदावा पेश करनें के अनेकानेक अवसर देने के बावजुद जवाब दावा पेश नहीं करनें से उक्त प्रतिवादीगण का जवाबदावा बन्द किया गया। जवाबदावा एवं प्रतिदावा नहीं होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक विरचित नहीं किये जाकर साक्ष्य ली गई तथा बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया।

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वादपत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर प्रार्थना की ग्राम रास तहसील जैतारण में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 21-09 बीघा किस्म बारानी दोयम के वादीगण एवं उनके पिता प्रपिता दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से लगातार बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का नाम गलत रूप से इन्द्राज है। दिनांक 15.10.1955 से पूर्व यानि बन्दोबस्त होने से पहले जागीर अधिग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने से पूर्व उक्त भूमि वादी संख्या 01 नैनसिंह के पिता मूलसिंह, वादी संख्या दो के मदनसिंह के पिता कल्याणसिंह व वादी संख्या 03 व 04 के दादा कल्याणसिंह जो दोनों सगे भाई थे को तत्कालीन जागीरदार ठिकाने रास द्वारा काश्त के लिये जमीन दी हुई थी जिस पर काश्त करते थे तथा मूलसिंह के फौत होने के पश्चात् 1/2 हिस्से की भूमि पर वादी संख्या 1 व कल्याणसिंह के फौत होने पर 1/2 हिस्से की भूमि पर वादी संख्या 2, 03 व 04 बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है व शुरू से आज दिन तक वादीगण ही काश्त करते आ रहे है। मगर वक्त सेटलमेन्ट खसरा संख्या 180 हरारा खेत रकबा 22-06 बीघा किस्म बारानी दोयम के खातेदार काश्तकार किशना वल्द लच्छा, घीसा वल्द प्रभु व बोदू वल्द सादुल के वारिसान एवं उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण है के नाम जारी पर्चा मय वादीगण की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 182 गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। जो पर्चा लगान दिनांक 23.11.1955 को जारी किया गया। जिसकी प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है जिसे वाद का भाग माना जावे। उक्त गलत इन्[illegible] खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 की प्रमाणित प्रति[illegible] है जिसमें भी वादीगण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 182 गलत रूप से किशना, घीसा व बोदू जिनके प्रतिवादीगण वारिसान एवं उत्तराधिकारी के नाम गलत इन्द्राज किया गया। वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी जैतारण पाली

आराजी की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2020 व 2032 से 2035 वादीगण के नाम काश्त दर्ज है। अतः प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादी संख्या एक नैनसिंह को 1/2 हिस्सा, वादीगण संख्या दो मदनसिंह को 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 3 व 4 को 1/4 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा वादपत्र इसी मुताबिक डिक्री फरमावें।

2. प्रतिवादी संख्या 1/1. बगदु द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 182 रकबा 21–09 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादीगण काबिज काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी में मेरा किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं कब्जा काश्त नहीं है और न ही भविष्य उक्त खसरे की भूमि बाबत् कोई गुजर एतराज करूगा।

3. वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्यावादी वादी नैनसिंह पुत्र मूलसिंह का शपथ पत्र PW-1 प्रस्तुत किया जिसमें गवाह द्वारा वादपत्र में अंकित कथनों को स्वीकार करते हुये दस्तावेजात प्रदर्श करवाये। स्वतंत्र गवाह नारायण सिंह पुत्र भैरूसिंह उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम रास तहसील जैतारण द्वारा बतौर गवाह शपथ पत्र PW-2 प्रस्तुत कर कथन किया है कि मै वादीगण एवं प्रतिवादीगण को जानता एवं पहचानता हुं। ग्राम रास चक प्रथम में मेरी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 181 आई हुई है जिसके पास ही वादीगण नैनसिंह वगैराह की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 182 रकबा 21–09 बीघा स्थित है। उक्त भूमि पर वादीगण नैनसिंह वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से आज दिन तक बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के नाम गलत इन्द्राज है। स्वतंत्र गवाह दिलिप सिंह पुत्र नरपतसिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम रास तहसील जैतारण द्वारा बतौर गवाह शपथ पत्र PW-3 प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादीगण की भूमि खसरा संख्या 182 रकबा 21–09 बीघा के पास ही मेरी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 187 आई हुई है। मै वादीगण एवं प्रतिवादीगण को जानता हूं। खसरा संख्या 182 की भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट पूर्व से आज दिन तक वादीगण का कब्जा काश्त रहा है। प्रतिवादीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है।

3. साक्ष्य वादी में वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श–1 जमाबन्दी ग्राम रास प्रथम सम्वत् 2065 से 2068 के अनुसार खसरा संख्या 182 रकबा 21–09 बीघा बगदू पुत्र किशना, हरबुसिंह, सम्पतसिंह, शिवसिंह, घनश्याम सिंह पि0 बद्री, कमला पत्नी बद्री, गुलाबी बेवा नैना, [illegible] सिंह पुत्र छितरसिंह, गीता देवी छितर सिंह, मदनसिंह पु[illegible] बतौर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–2 सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट द्वारा जा[illegible] रास, के कॉलम संख्या 02 में जागीर अंकित है, तथा कॉलम संख्या 0[illegible] खसरा संख्या 182 व 180 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

काश्तकार के रूप में कॉलम संख्या 03 में किशना वल्द लच्छा, घीसा वल्द प्रभू, बोदू वल्द सदुल कौम दरोगा साकिन देह अंकित है। प्रदर्श-3 खतौनी बन्दोबस्त ग्राम रास सम्वत् 2011 से 2030 के अनुसार खसरा संख्या 180 व 182 की आराजी में किशना वल्द लच्छा, घीसा वल्द प्रभू, बोदू वल्द सदुल कौम दरोगा साकिन देह अंकित है। प्रदर्श-4 से प्रदर्श-14 वादग्रस्त आराजी की पश्चात्वर्ती जमाबन्दी चौसाला की प्रतियां है। जिसमें वादग्रस्त आराजी के खातेदार के रूप में पूर्ववर्ती खातेदारान् एवं इनके वारिसान की नाम की प्रविष्टि है। प्रदर्श- 15 व प्रदर्श- 16 नामानतरण पंजिका की प्रतियां है। प्रदर्श- 17 ग्राम रास तहसील-जैतारण की सम्वत् 2010 से 2013 की खसरा गिरदावरी की प्रति जिसके अनुसार खसरा संख्या 182 रकबा 21-09 बीघा किस्म बारानी दोयम जो जागीर भूमि के रूप में अंकित है, तथा किशना वगैरह अंकित करते हुये गेंहू आदि फसल का अंकन है लेकिन अन्य किसी काश्तकार की प्रविष्टि नहीं है। प्रदर्श-18 खसरा गिरदावरी ग्राम रास सम्वत् 2014 से 2017 के अनुसार वादग्रस्त आराजी जागीर के रूप में अंकित है तथा कॉलम संख्या 06 नाम कृषक विवरण में किशना वगैरह का अंकन है। सम्वत् 2015 व 2017 में नैनसिंह पुत्र मूलसिंह की काश्त अंकित है। प्रदर्श-19 खसरा गिरदावरी ग्राम रास सम्वत् 2018 से 2020 के अनुसार वादग्रस्त आराजी राजस्थान सरकार के रूप में अंकित है तथा कॉलम संख्या 06 नाम कृषक विवरण में भोला वल्द किशना वगैरह का अंकन है। सम्वत् 2018 में कल्ल जी वल्द रावतसिंह व सम्वत् 2019 व 2020 में कल्याणसिंह वल्द रावतसिंह की काश्त अंकित है। प्रदर्श-20 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2035 ग्राम रास के अनुसार भोला वगैरह का अंकन करते हुये बाजरी, मोठ, ज्वार की काश्त अंकित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध पूर्व जारी पर्चा खतौनी एवं भू प्रबन्ध के दौरान जारी मिसल बन्दोबस्त में वादीगण या वादीगण के पिता या प्रपिता का नाम नहीं होकर प्रतिवादीगण का नाम है। हालांकि वादग्रस्त आराजी जागीर भूमि होना दस्तावेजात से साबित हैं लेकिन वादीगण यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व तथा राजस्थान जागीर अधिग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने के दौरान वादीगण के पिता या प्रपिता उक्त वादग्रस्त आराजी से किस प्रकार सम्बन्धित थे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरीयां से भी यह साबित नहीं होता है कि भू प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता या प्रपिता के उपयोग उपभोग एवं कब्जा काश्त में थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरीयों से स्पष्ट है कि वादी नैनसिंह का नाम सर्वप्रथम सम्वत् 2015 व 2017 में तथा वादी संख्या 2 के पिता कल्याणसिंह का नाम सर्वप्रथम सम्वत् 2018 से 2020 की खसरा गिरदावरीयों में अंकन है। इससे [illegible] साबित होता है कि भू प्रबन्ध पूर्व वादीगण के पिता या प्रपिता द्वारा वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। वादीगण यह भी स्पष्ट नहीं कर पाये है कि वादग्रस्त आराजी जो भू प्रबन्ध पूर्व जागीर भूमि होना अंकित है, उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

खुदकाश्त जागीर भूमि थी या जागीरदार द्वारा काश्तकारों को काश्त प्रयोजनार्थ दी गई भूमि थी।

इस प्रकार उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण वादपत्र को भली भांति साबित करनें में असफल रहे है अतः वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणों का अनुतोष प्राप्त करनें के अधिकारी नहीं है। लेकिन दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् वादीगण के उपयोग उपभोग एवं काश्त में रहीं है। अतः प्रतिवादीगण को इस बाबत् पाबन्द किया जाना विधि संगत होगा कि वे समुचित विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करें।

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि समुचित विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री मुर्तिब हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 14/06/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 71/2012

GCMS No. : 2012/00032

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. नैनसिंह पुत्र मूलसिंह
2. मदनसिंह पुत्र कल्याणसिंह के कायम मुकाम
   2/1. मदनकंवर पत्नी मदनसिंह
   2/2. रघुवीरसिंह पुत्र मदनसिंह
   2/3. महावीरसिंह पुत्र मदनसिंह
   2/4. जब्बरसिंह पुत्र मदनसिंह
3. इन्द्रसिंह पुत्र. सज्जनसिंह
4. प्रेमसिंह पुत्र सज्जनसिंह

जातियान- सभी राजपूत
निवासीगण- ग्राम रास तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

1. किसना वल्द लच्छा(धूला) के कायम मुकाम
   1/1. बगदू पुत्र किसना
   1/2. हरबूसिंह पुत्र बद्री वल्द किसना
   1/3. सम्पतसिंह पुत्र बद्री वल्द किसना
   1/4. शिवसिंह पुत्र बद्री वल्द किसना
   1/5. घनश्याम सिंह पुत्र बद्री वल्द किसना
2. घीसा वल्द प्रभु के कायम मुकाम
   2/1. किरणसिंह पुत्र छीतरसिंह वल्द घीसा
   2/2. गीतादेवी पत्नी छीतरसिंह वल्द घीसा
3. बोदू वल्द सादूल के कायम मुकाम
   3/1. हरिसिंह पुत्र शंकरसिंह वल्द बोदू
   3/2. महावीरसिंह पुत्र शंकरसिंह वल्द बोदू
   3/3. गुलाबी बेवा नैना वल्द बोदू,

जातियान- सभी रावणा, राजपूत,
निवासीगण- रास, तहसील- जैतारण, जिला- पाली (राज0)।

राजस्व वाद बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88, 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :- रा0वा0 स0: 71/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ... नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि समुचित विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना वादग्रस्त आराजी से वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बेदखल नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/06/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावां	07	00	स्टांम्पं वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	05	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	05	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः–	19	00	मिजानः–	02	00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:16 IST
Reason: SelfAttested